



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-22.01.2025

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2022 में अभियुक्तगण 1.इनाम उर्फ काला पुत्र लीला निवासी मौहल्ला कुरेशियान थाना गढीपुख्ता जनपद शामली व 2.जमील पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 56/2022 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.इनाम उर्फ काला पुत्र लीला निवासी मौहल्ला कुरेशियान थाना गढीपुख्ता जनपद शामली
- 2.जमील पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI